

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 16/10/2020 द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों/आश्रम छात्रावासों/कार्यालयों में रिक्त पदों पर चयनित कार्मिकों की "राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144."क" के तहत एक वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति किये जाने की अनुमति प्रदान की गई थी।

आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर (राज.) के पत्र क्रमांक: एफ 3(ए)()शिक्षा/सीटीएडी/ 2020-21/25174 दिनांक: 20.10.2020 के क्रम में उक्त जारी प्रतिनियुक्ति पदस्थापन के आदेशों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है-

क्र.स.	नाम कार्मिक व पद	आदेश में वर्णित	कराया जाने वाला संशोधन
01.	श्री हरिओम भारद्वाज,	राउमावि निचला घंटाला, बांसवाड़ा	विद्यालय के नाम में परिवर्तन- राउमावि पाटन, बागीदौरा, बांसवाड़ा
02.	श्री राम सिंह चरपोटा	रामावि साबला, डूंगरपुर	विद्यालय के नाम में परिवर्तन- सन्त मावजी राउमावि साबला, डूंगरपुर
03.	श्री भरत कुमार मेहता	ईएमआरएस, दादीया, गोगुन्दा	विद्यालय के नाम में परिवर्तन- ईएमआरएस, खेरवाड़ा, उदयपुर
04.	श्रीमती निर्मला गरासिया	राबाउमावि धरियावद, प्रतापगढ़	विद्यालय के नाम में परिवर्तन- राउमावि लोहागढ़ पं.स. धरियावद, प्रतापगढ़
05.	श्रीमती प्रतिभा त्रिवेदी	वरिष्ठ अध्यापिका	पदनाम में परिवर्तन- शारीरिक शिक्षक
06.	श्रीमती संतरा बाई मीना	रामावि बिलाड़ा	विद्यालय के नाम में परिवर्तन- राबामावि बीनावास, तह. बिलाड़ा, जोधपुर

नोट:- शेष शर्तें मूल समसंख्यक आदेश दिनांक: 16.10.2020 के अनुसार यथावत् रहेगी।

संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-3/13401/आ.विद्यालय(टी.ए.डी)/प्रतिनियुक्ति/2020// दिनांक: 22.10.2020
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
- 2- आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को उनके पत्र क्रमांक: एफ 3(ए)()शिक्षा/सीटीएडी/ 2020-21/ 25174 दिनांक: 20.10.2020 के क्रम में सूचनार्थ।
- 3- संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), संभाग मुख्यालय।
- 4- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा।
- 5- संबंधित मुख्य मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 6- संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक।
- 7- रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)